महत्वपूर्ण

संख्या–1604 /नौ–9–21–133ज/20

प्रेषक,

डॉ0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊः **दिनांकः 14 सितम्बर 2021**

विषयः–वित्तीय वर्ष 2020–21 में नव सृजित 28 नगर पंचायतों के कार्यालय भवन के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0–8/1478/420/56 न0पं0/भवन निर्माण /2020–21, दिनांक–03.08.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019–20 में नवसृजित नगर पंचायतों के कार्यालय भवन निर्माण की भांति ही वित्तीय वर्ष 2020–21 में नवसृजित 28 नगर पंचायतों के कार्यालय भवन के निर्माण के लिये सीएण्डडीएस को कार्यदायी संस्था नामित करते हुये प्रति कार्यालय भवन रू0 1.47 करोड़ संबंधित निकायों को प्राप्त होने वाली राज्य वित्त आयोग की धनराशि से 50 प्रतिशत धनराशि निकाय स्तर पर संरक्षित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–489/नौ–9–2021–133ज/2020, दिनांक–23.02.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में सृजित 55 नगर पंचायतों के कार्यालय भवन के मॉडल डिजाइन बनाने तथा निर्माण कार्य हेतु सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया। उक्त शासनादेश के क्रम में निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम ने अपने पत्र दिनांक–05.03.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में से सृजित 55 नगर पंचायतों के कार्यालय भवन निर्माण हेतु मॉडल डिजाइन एवं प्रति कार्यालय भवन लागत रू0 147.86 लाख मुख्य अभियन्ता (भवन) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वेट कराते हुये नगरीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराया गया।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये हैः–

(1) वित्तीय वर्ष 2020–21 में नवसृजित 28 नगर पंचायतों के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।

(2) वित्तीय वर्ष 2019–20 की भांति ही वित्तीय वर्ष 2020–21 में नवसृजित 28 नगर पंचायतों के कार्यालय भवन निर्माण हेतु सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम द्वारा तैयार किये गये माडल डिजाइन एवं प्रति कार्यालय भवन लागत रू0 147.86 लाख को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(3) उक्त नवसृजित 28 नगर पंचायतों को प्रत्येक माह अंतरित की जाने वाली राज्य वित्त आयोग की धनराशि से 50 प्रतिशत धनराशि नगरीय निकाय निदेशालय स्तर पर संरक्षित (Earmark) कर (प्रति कार्यालय भवन लागत रू0 147.86 लाख तक) कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार अवमुक्त की जायेगी।

उक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जा रही हैः–

(1) समस्त कार्यालय भवन निर्माण कार्य भूतल पर ही किया जायेगा। कार्यालय भवन हेतु भूखण्ड का क्षेत्रफल 1200 वर्ग मी0 से 2000 वर्ग मी0 के मध्य ही लिया जायेगा।

(2) सीएण्डडीएस द्वारा तैयार किये गये मॉडल आगणन में भवन का क्षेत्रफल 25X60=1500 वर्ग मी0 के आधार पर बाउण्ड्री वाल की लम्बाई 170 मी0 सम्मिलित की गयी है। यदि न्यूनतम आवश्यकता 1200 वर्ग मी0 के आधार पर नगर पंचायत कार्यालय भवन का निर्माण कराया जाता है तो बाउण्ड्री वाल की लम्बाई कम हो जाने के कारण भवन की अनुमनित लागत के सापेक्ष बचत होगी, तदनुसार बचत की धनराशि शासनादेश

संख्या–2581/नौ–9–2021–133ज/ 20,दिनांक–04.12.2020 में निर्धारित प्राथमिकता वाले मदो पर व्यय की जायेगी तथा भूमि की उपलब्धता के दृष्टिगत 2000 वर्ग मी0 क्षेत्रफल पर निर्माण की दशा में बाउण्ड्रीवाल बनाये जाने पर अतिरिक्त आवश्यक धनराशि की व्यवस्था संबंधित नगर पंचायत द्वारा अपने स्रोतो अथवा राज्य वित्त आयोग की आगामी किश्तो की धनराशि से सुनिश्चित करायी जायेगी।

(3) नवसृजित नगर पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग की धनराशि का आहरण शासनादेश संख्या–2581/नौ–9–2021–133ज/20, दिनांक–04.12.2020 की व्यवस्थानुसार सम्बन्धित निकाय के प्रशासक एवं अधिशासी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। जिन निकायों में प्रशासक नियुक्त नहीं किये गये हैं, उन पंचायतों द्वारा आहरण प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय एवं अधिशासी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

(4) कार्यालय भवन हेतु वांछित धनराशि मात्राकृत कर प्रथम वरीयता पर कार्यदायी संस्था सीएण्डडीएस को अधिशासी अधिकारी द्वारा उपर्युक्तानुसार आहरित कर आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जायेगी। मात्राकृत की गयी धनराशि का व्यय इसी मद में किया जायेगा।

(5) मॉडल आगणन के सापेक्ष कार्यालय भवन के निर्माण में कम पड़ रही धनराशि (यदि कोई हो) निकाय की आगामी राज्य वित्त आयोग की धनराशि की किश्तों के माध्यम से संबंधित निकाय द्वारा कार्यदायी संस्था सीएण्डडीएस को उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) राज्य वित्त आयोग की धनराशि से किये जाने वाले कार्यों एवं व्यय का नियमित अनुश्रवण सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो तत्काल सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। शासन स्तर से कार्यवाही आवश्यक होने की दशा में सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुये प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।

5. उपर्युक्त प्रस्तर–03 में उल्लिखित निर्णय के क्रम में सीएण्डडीएस द्वारा तैयार किये गये मॉडल डी0पी0आर0 को सम्बन्धित निकायों को प्रेषित करते हुये प्राथमिकता पर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं तद्नुसार शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
2. समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. निदेशक, सी0एण्डडी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4. समस्त सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0)।
5. सहायक वेबमास्टर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
उप सचिव।